

राजस्थान विधान सभा
आठवां सत्र
कार्य-सूची
शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च, 2017
बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. शोकाभिव्यक्ति

श्री विद्यासागर, पूर्व सदस्य, दूसरी, चौथी एवं पाँचवी राजस्थान विधान सभा के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी ।

3. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री समाराम गरासिया, सदस्य, विधान सभा, सिरोही जिले के जनजाति क्षेत्र में अनुसूचित जाति के किसानों को टी.एफ.सी. ऐरिया की भाँति कृषि कनेक्शन दिये जाने के संबंध में ऊर्जा राज्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

4. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

(I) श्री अजय सिंह, सहकारिता मंत्री, निम्नांकित लेखा परीक्षा रिपोर्ट एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे :-

- 1- राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा-54(14) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर की लेखा परीक्षा रिपोर्ट वर्ष 2015-2016; एवं
- 2- राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा-54(14) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि. जयपुर के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014, 2014-2015 एवं 2015-2016.

(II) श्री गजेन्द्र सिंह, पर्यावरण मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-39 (2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 एवं जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-40(7) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के वार्षिक लेखे वर्ष 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 एवं 2015-2016 सदन की मेज पर रखेंगे ।

5. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा), सभापति, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति, 2016-2017 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

- 1- वर्ष 2004-2005 के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) में समाविष्ट पंचायती राज विभाग से संबंधित मामलों पर स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति वर्ष 2016-17 का 7वां प्रतिवेदन;
- 2- वर्ष 2011-2012 के लिये राजस्थान के स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के प्रतिवेदन में समाविष्ट कृषि विपणन विभाग से संबंधित मामलों पर स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति, वर्ष 2016-17 का 8वां प्रतिवेदन; एवं
- 3- स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति का भरतपुर संभाग एवं अलवर जिले में स्वायत्त शासन (स्थानीय निकायों) पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास (पंचायत राज संस्थाओं), नगरीय विकास एवं आवासन (नगर सुधार न्यास एवं आवासन) एवं कृषि विपण (कृषि उपज मण्डी) विभागों के तत्स्थानीय अध्ययन/निरीक्षण के दौरान समिति के ध्यान में आये विभिन्न बिन्दुओं पर विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-201 के अन्तर्गत स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति, वर्ष 2016-17 का 9वां विशेष प्रतिवेदन ।

6. याचिकाओं का उपस्थापन

- (I) श्री जोगाराम पटेल, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र लूणी, जिला- जोधपुर के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।
- (II) श्रीमती संजना आगरी, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र सोजत में महिला पुलिस थाना खोले जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी ।
- (III) श्री छोटू सिंह, सदस्य, विधान सभा, जैसलमेर के दुर्ग के प्रथम द्वार पर महारावल जैसल की मूर्ति लगवाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।
- (IV) श्री हीरालाल नागर, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र सांगोद की ग्राम पंचायत जालिमपुरा, तहसील-कनवास के ग्राम जालिमपुरा एवं पीतामपुरा पाईण्ड पेयजल योजना स्वीकृत करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

7. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2017-2018

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांग पर विचार एवं मतदान

अनुदान की मांग संख्या- 26- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर विचार एवं मतदान होगा ।

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 23 मार्च, 2017

पृथ्वी राज
सचिव